न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 52 / 2009

उनवान

रामा पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
--- वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मांगू पुत्र घीसा
2. बन्ना पुत्र घीसा
3. चांद पत्नी रामधन
4. हंगामा पुत्र लादू
5. श्योदान पुत्र लादू
6. उगमा पुत्र रामा
7. रामस्वरूप
8. गजमल पि0 रंगलाल
9. उमराव पुत्र लादू
10. कल्ला पुत्र चन्द्रा
11. लक्ष्मण पुत्र केसु
12. कालू पुत्र हंगामा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुरजपुरा, नसीराबाद
13. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
14. कस्तुरी पत्नी हंगामा
15. प्रसन्न पुत्र सांवरा
16. रामधन पुत्र सांवरा,
17. शैतान पुत्र सांवरा
18. शिवराज पुत्र सांवरा
19. कालूराम पुत्र मन्ना
20. गोपाल पुत्र मन्ना
21. धीसी पत्नी रामदयाल
22. तेजू पुत्र मन्ना
23. देवकरण पुत्र मन्ना
24. बदीलाल पुत्र मन्ना
25. मगनी पत्नी मन्ना
26. राधाकिशन पुत्र मन्ना
27. लालाराम पुत्र मन्ना समस्त [illegible], नसीराबाद
28. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर

— प्रतिवादीगण :– जरियें [illegible] श्री [illegible]राम रावत
13 [illegible] राज0 पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:56:39 IST
Reason: SelfAttested

---2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :- दिनांक :- 28.12.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी की निम्न आराजी वादी की कयशुदा है :-

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1420	1-09-0 मे से बैचान 0-13-0	1512	1-09-0 मे से बैचान 0-13-0		
1288	1-4-10	1386	1-4-10	1730/2283	0.20
1287	1-3-10	1385	1-3-10	1734/2282	0.19
1284	0-9-02	1382	0-9-02	1734/2282	0.07
1281	0-4-10	1379	0-4-10	1734/2282	0.04
1293	0-9-10	1391	0-9-10		
1292	0-11-0	1390	0-11-0	1731	0.09
1291	0-8-0	1389	0-8-0	1731	0.07
1290	1-06-0	1388	1-06-0	1731	0.29
1289	0-3-0	1387	0-3-0	1730	0.02

उक्त आराजी दिनांक 24.07.89 को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा खसरा नम्बर 1420 कय किया गया व दिनांक 15.1.82 को द्वितीय पंजीकृत विकय पत्र द्वारा शेष खसरा नम्बर कय किये गये। उपरोक्त आराजी वादी ने प्रतिवादीगण व उसके वारिसान से कय की उगमा पुत्र धूला नाऔलाद फौत हो गया है। कय दिनांक से वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त कयशुदा आराजी बंदोबस्त विभाग द्वारा वादीके नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से आधार जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज नही की गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घेषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का बैचान कभी भी नही किया गया। वादी द्वारा मृत खातेदारों के सभी वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। उक्त विकय पत्र फर्जी व कूटरचित है। अतः वाद निरस्त किया जावे। राज0 पैराकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण विचारण के दौरान वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में नवीन पक्षकार मुर्तिब किये गये।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की कियशुदा है

--वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:56:39 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. आया वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है?
— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी रामा के बयान दर्ज करवाये एवं राजस्व अभिलेख तथा विक्रय पत्र पेश किये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब के समर्थन में श्रवण पुत्र केशू, शिवराज दत्तक पुत्र उगमा के अयान करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 व 2 :—

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादी ने दो अलग—अलग विक्रय पत्र द्वारा आराजी मुतनाजा को क्रय किया है। वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.8.79 को साबिक खसरा नम्बर 1420 रकबा 0—13—0 व पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.1.92 से शेष आराजी क्रय की है। प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्तम विक्रय पत्र फर्जी है। किन्त उक्त दोनो विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के विरुद्व सक्षम न्यायालय में चराजोही नही की है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वाद में अपूर्ण पक्षकार है। किन्तु वादी द्वारा वाद विचारण के दौरान प्रार्थना पत्र पेश कर नवीन पक्षकार मुर्तिब किये है। जिनका जवाब भी प्रकरण में प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह श्रवण पुत्र केसू ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि भूमि पर वादी का कब्जा है। तथा यह भी कथन किया है कि रामा ने उसकी भूमि पर 15—2 वर्षो से कब्जा कर रखा है जिससे स्पष्ट होता है कि आराजी मुतनाजा पर कब्जा क्रेता/वादी ने प्राप्त कर लिया है।

चौसाला खसरा नम्बर 1288 व 1420 जमाबंदी में उगमा, सुवा, हंगामा पुत्र धूला के नाम खातेदारी दर्ज थी। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 1288 में उगमा व हंगामा ने ही अपना हिस्सा विक्रय किया है। सुवा पुत्र धूला ने अपना हिस्सा विक्रय नही किया है। चौसाला खसरा नम्बर 1420 में दर्ज खातेदारों ने भी अपना हिस्सा विक्रय नही किया है। शेष चौसाला खसरा नम्बर 1287, 1284, 1281, 1293, 1292, 1291, 1290, 1289 सौसाला जमाबंदी में लादू, मादू पि0 सुखा 1/2 हिस्सा, फूमा पत्नी छीतर 1/4 हिस्सा व चन्द्रा पुत्र हरदेव 1/4 हिस्सा के नाम दर्ज है। वादी द्वारा उक्त आराजी में से लादू के पुत्र अमराव पुत्र लादू, चन्द्रा के पुत्र कल्ला पुत्र चन्द्रा व लक्ष्मण पुत्र केसू पुत्र चन्द्रा का हिस्सा ही क्रय किया है। शेष खातेदारों अथवा उनके वारिसों द्वारा वादी को अपनी आराजी का बेचान नही किया है। उक्त चौसाला खसरा नम्बर के वंर्किंग खसरा नम्बर वंर्किंग जमाबंदी में बिना किसी आधार के मोड़ू, पन्ना पि0 छोगा के नाम व हाल जमाबंदी में उनके वारिसान के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिये जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था तथा वाद के विक्रय पत्र की पालना भी राजस्व कार्मिको द्वारा नही की गयी। वादी द्वारा साबिक खसरा नम्बर में से जितना हिस्सा जिस खातेदार का क्रय किया है। उतने रकबे पर वादी का नाम दर्ज करना चाहिये था। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी का विक्रय पत्र पंजीकृत है। विक्रेता ने विक्रय की गयी आराजी के बदले प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत विक्रतागण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज ये वाद के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब से साक्ष्य से वाद का खण्डन

——4

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सिद्व नही होता है। अतः दोनो तनकी बहक वाद विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1730/2283 रकबा 0.20, 1734/2282 मिन रकबा 0.30 व 1731 रकबा 0.37 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1734/2282 0.30 व खसरा नम्बर 1731 रकबा 0.37 पर रामा पुत्र लादू 1/2 उगमी पुत्री फूमा 1/4 हिस्सा व नौसर पुत्री मादू 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1730/2283 पर रामा पुत्र लादू 2/3 हिस्सा तथा **प्रसन्न, रामधन, शैतान, शिवराज** पि0 सांवरा 1/3 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:56:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामा बनाम मांगू

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज का अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 52/2009
पेश करने की दिनांक – 18.03.2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 1730/2283 रकबा 0.20, 1734/2282 मिन रकबा 0.30 व 1731 रकबा 0.37 की आराजी पर वादी का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1734/2282 0.30 व खसरा नम्बर 1731 रकबा 0.37 पर रामा पुत्र लादू 1/2 उगमी पुत्री फूमा 1/4 हिस्सा व नौसर पुत्री मादू 1/4 हिस्सा का खातेदार धोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1730/2283 पर रामा पुत्र लादू 2/3 हिस्सा तथा प्रसन्न, रामधन, शैतान, शिवराज पि0 सांवरा 1/3 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 12 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद